

फर्द अहकाम  
 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर  
नामान्त/केलाश

केस संख्या 88/2024(T.F)

केस संख्या	दिनांक आजा या कार्यवाही	आजा विस्तृत रूप से
26	6/11	<p>परावामी प्रहुरा/ व.प्र. उप/ उमरपदा क्षि.०              की बहन सुनीगरी, प्राचीगिण एवं अग्रणीगिण              लक्ष्मणदेव दे अग्रणीगिण सिना विधि              विधान के अन्त कारणी को खुर्द बुडि एवं              बेपान कले पर कामडा है, यदि              अग्रणीगिण अन्त कृत्य कले में उत्पन्न              हो जाये, तो प्राचीगिण को अग्रणीगिण              क्षति होने की प्रथम समापना है। किंतु              अग्रणीगिण को जदमै अक्षय निषेधाज्ञा              से बाँध दिया जावे।</p> <p>इसने परावामी का अर्थलोकन              विना वाड क्योरे से संबंधित है, यदि              अग्रणीगिण विना विधि तन्नालेम के              विधि मू-मागको खुर्द बुडि सं              बेपान करत है तो प्राचीगिण/ अग्रणीगिण              के वाड का कोसिल समाप होने की              समापना है। किंतु वाड बाहुल्यता के              रोकने व उनके संरक्षण हेतु इस              ठपापालय के कोडेज दिनांक 13.11.2024              को अलवाद के निस्सागत उठवादि              किया जाता है। अन्त अग्रणीगिण को              कार्य एन सरकारी योजनाओं पर लागू              कही दोगा।</p> <p align="right">परावामी कलल सुमर दे              शक्ति देकर हो।</p>

संख्या :  
 दिनांक आजा  
 या कार्यवाही

[Signature]  
 सहायक कलक्टर  
 आमेर न. जयपुर